प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए) A hour a store -

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (BETUL), मध्यप्रदेश

द्रसाधः-फैक्स

कमाकः//स्कृत आई.डी. - 82967

दिनाक:-

प्रवंधक.

(Madhyanchal Podar Learn School)

विषयः निःशुस्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुरूक और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार निवाम,2010 के निवाम 11 के उपनिवाम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पदा महोदय/महोदया.

आपके आवेदन पत्र दिनांक 06/01/2019 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी रक्त -Madhyanchal Podar Learn School, village panchayat kadal village sonaghati belul को कहा Nursery से काश 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2019 से 31/03/2022 तक कालाविप के लिए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्मलिखित शर्ती की पूर्ति के आवशीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा ववा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विविधात नहीं होगी।
- स्कून निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपारंघ 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधी का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कराजोर वर्ग के बालकों को कथा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दचा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेषित बालकों को उस अनुपात में निःशुरूक और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कितु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अपीन होगा बशतै कि जहां रक्ल पूर्व स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बातकों के लिए स्कूल को अधिनियम की पारा 12 (2) के अनुसार व्याय की प्रतिपूर्ति की आएगी तथा ऐसी प्रतिपृति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से वैक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सीसाइटी/स्कूल कोई श्री कीपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अमिमावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
 - आयु के सबूत के अभाव में;
 - यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पण्यात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिधित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंशिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कदा। में रोका या निभवरित नहीं किया जाएगा,
 - किसी बालक को पारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंजिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - र्नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशतर्गविशेश आवश्यक्ता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की असी की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कर्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहंता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम् अर्हता प्राप्त करनी होगी ;

रिहाकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;

NAFAA प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

Data: 2019.08.05 स्कूल समुचित प्राधिकरी व्यारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

Reason: Diction 500 जीपेनियम की चारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया

ज्याणमा ।

Signature Not

Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal Province Contract Contra कूल ब्हारा अभिनियम की पास 19 में विमितित एकून में मानक एवं शापटणा बनाग रहें। जाएन। शांतम निकाल के समय रक्ष्म में पत्तका राविधारं विक्तानसार पाडे गर्यो

/	animal flattic mountain as an				nervice!	विक मिथित
	मुस्तार्ग	पाटन में दर्ज		and the second		
5	स्कूल के अवस की रियाति	स्त्यं वर	HEH			
9	स्वपूस का कृस सीतकल (वर्ग फीट में)	#8000			(8000	
10	हस्तुस का विभिन्न क्षेत्रफल (वर्ग कीट में)	10000			10000	
11	कंस मैदान व्य शेवकस (वर्ग फीट मैं)	78000			78000	
N.	अधीसंस्थल का	विवरण				
		Rooms st.	Rooms as पोर्टस में दर्ज		वास्तविक स्थिति	
	468	per RTE	शंध्या	ऑसत आकार (वर्ग फीट में)	संख्या	औरात आकार (वर्ग पंस्ट में)
	करा आठमी तक उपयोग में आ रहे करा क्या		11	500	11	500
	कर्याभव कस-सर-भण्डर कश-सर-प्रधानाच्यापण करा		5	300	5	300
3	भाजनात्रक-सर्-भण्डार	No.	2	300	2	300
. W	अन्य सुविधाएँ				पोर्टल में दर्ज	यास्त्रीयण स्थिति
	वया सभी सुविधाओं तक पहुंच बापा रहित हैं हॉन्नहीं				ęř.	ef .
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताशरित सूची अपलोड करें)				ęĭ	e),
3	क्षेत्रकृद एवं खेल उपवरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड क	b			関	हाँ
					300	300
	पुस्तको की संख्या				6	6
5	पविकाणंत्रामाचार पत्र				Tube Well	Tube Well
6	पेयजन सुविधा का प्रकार				4	4
7	पेयज्ञत सुविधा की संख्या				Both Indian &	Both Indian &
8	शीचालय का प्रत्यर (मारतीय/पश्चिमी/नहीं)				Western 6	Western 6
9	लड़कों के लिए फूक्क शीजलयाँ मेरे शंख्या				- Company	6
10	सङ्क्रियों के लिए पृथक शीचालयों की संख्या				6	
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शीचालयी की संख्या				2	2
12	क्या अभिन सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं				ęł.	सँ
*	THE RESERVE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF					AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा घार्टड एकाउन्टेंट व्दास सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होंगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को मेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर.... एवं डाईसकोड (DISE) 23350305906 है। इस कार्यालय के साथ पताचार में यह कोड नम्बर संदर्शित
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल ब्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी ब्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए. और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संघालन की कमियाँ को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्ती की निरन्तर पूर्ति सुनिश्वित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसाबटी(न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया आएगा।
- अन्य शर्ते संसम्न उपावंध "तीन" के अनुसार होगी।

SATUR

अधिनियम एवं नियम के उपबंधी और मान्यता की शर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस हे सी जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

BETUL